निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 14) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 नवम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–8–10/2004/1778—श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, समस्तीपुर को चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन अवधि 2001–02 में गडक नदी के चम्पारण तटबंध के वि0दू0 54–55 मील पर अवस्थित नगदाहा स्थल पर हुए टूटान के बावजूद भी बचाव हेतु सार्थक एवं योजनाबद्ध तरीके के बाद संघर्षात्मक कार्य नहीं कराये जाने का जॉच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या 8564 दिनांक 17.12.2002 द्वारा निलंबित करते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1950 के नियम–55 के अर्न्तगत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये –

(क) विषयांकित प्रस्तावित कार्य के तकनीकी दृष्टिकोण से प्रावधान अपर्याप्त रहने के संबंध में इनके द्वारा पूर्व में कोई प्रतिकार नहीं किया गया है।

(ख) आपातकालीन व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम नहीं।

(ग) बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की Continuty बनाने रखने में असक्षम।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 14.05.05 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया –

(i) निन्दन वर्ष 2001–2002 के लिए।

(ii) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(iii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मापी जायेगी।

उक्त अधिसूचना द्वारा निर्गत दंड श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि दंडादेश निर्गत होने के दो वर्ष बाद ही वे दिनांक 30.06.2007 को सेवा निवृत्त हो गये। इसलिए संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के स्थान पर दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से लागू हो पायी। इस संबंध में महालेखाकार द्वारा भी पृच्छा की गई कि तीसरे वेतन वृद्धि पर रोक को कैसे लागू किया जाय।

मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–477, दिनाक 14.05.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए ''तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' के स्थान पर ''दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक

प्रभाव से रोक'' का दंड संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 14.05.2005 का शेष दंड यथावत रहेंगे।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद को निम्न दंड संसूचित किया गया है –

(i) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 14.05.2005 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

उक्त दंड श्री प्रसाद, सेवा निवृत्त अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 14-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in